न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2019 (पुराना) दायर तारीख :– 27.08.2019
08/2022 (नया इस न्यायालय का)

1. मन्नाराम पुत्र दूला
2. गणेश पुत्र दूला
3. बेनाराम पुत्र दूला
4. दानाराम पुत्र दूला
5. जगदीश पुत्र दूला

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बोराज तहसील जोबनेर जिला जयपुर

..........**अपीलांटस/प्रार्थीगण**

बनाम

1. ग्राम पंचायत ढाणी बोराज तहसील जोबनेर जिला जयपुर जरिये सरपंच

.........**रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी**

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश ग्राम पंचायत ढाणी बोराज,

नामान्तरण सं0 1865 दिनांक 24/07/2019 अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0 ऐक्ट

उपस्थित :– 1. प्रार्थीगण सं0 1,2,4,5

2.भैरूराम हाल सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी बोराज

3.मंगलराम स्वामी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ढाणी बोराज

निर्णय

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट ढाणी बोराज में पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत दिनांक 27.08.2019 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

अपीलांटस/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे वाक्यात इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मे वर्णित खाता नं0 नया 74, 254, 256, 294, 316, 318, 319 एवं 53 की आराजीयात वाके ग्राम ढाणी बोराज, पटवार हल्का ढाणी बोराज, भू0अभि0नि0 क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर मे स्थित है जिसमे खाता नं0 नया 74 पुराना 95 की आराजी खं0न0 951 रकबा 39 बीघा 01 बिस्वा बारनी–1 मे दूला पुत्र काना 1/10 हिस्से का एवं खाता नं0 254 पुराना 240 की आराजी ख0नं0 1087 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा बारानी–1 मे दूला पुत्र काना 1/20 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 256 पुराना 241 की आराजीयात खं0नं0 1080 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म (चाही–1 रकबा 2–18, जाव–1 रकबा 1–18), खं0न0 1081 रकबा 02 बिस्वा किस्म बंजड़ डोल, ख0न0 1083 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा किस्म

(चाही–1 एकबा 3–02, जाव–1 एकबा 2–01), ख0नं0 1084 एकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी–2, ख0नं0 1085 एकबा 4 बीघा 07 बिस्वा किस्म (जाव–1 एकबा 1–01, बारानी–2 एकबा 0–07, चाही–1 एकबा 2–19) कुल किता 5 कुल एकबा 19 बीघा 01 बिस्वा में दूला पुत्र काना 1/20 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 294 पुराना 207 की आराजीयात ख0नं0 1073 एकबा 1 बीघा किस्म चाही–1, ख0नं0 1074 एकबा 02 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह, ख0नं0 1075 एकबा 2 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही –1, खसरा नं0 1076 एकबा 6 बीघा 06 बिस्वा किस्म (जाव–1 एकबा 3–12, चाही –1 एकबा 2–14), ख0नं0 1077 एकबा 2 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी–2, ख0नं0 1078 एकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किस्म (चाही–2 एकबा 1–10, चाही–1 एकबा 0–17), ख0नं0 1079 एकबा 2 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी–2 कुल किता 7 कुल एकबा 17 बीघा 10 बिस्वा मे दूला पुत्र काना 1/10 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 316 पुराना 310 की आराजी ख0नं0 911 एकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी–1 में प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान 1/5 हिस्से मे एवं खाता नं0 नया 318 पुराना 289 की आराजी ख0नं0 1026 एकबा 19 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी–2 में दूला पुत्र काना 1/20 हिस्से का एवं खाता नं0 नया 319 पुराना 289 की आराजी ख0नं0 1029/1 एकबा 13 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी–2 में दूला पुत्र काना 1/20 हिस्से का एवं खाता नंबर नया 53 पुराना 48 की आराजीयात खसरा नं. 912 एकबा 39 बीघा किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 924 एकबा 10 बिस्वा किस्म बंजड–1, खसरा नंबर 925/1 एकबा 23 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी–1, खसरा नंबर 925/2 एकबा 1 बिस्वा किस्म (बारानी –1 एकबा 0–01, चाह एकबा 0–0), खसरा नंबर 926 एकबा 1 बीघा 13 बिस्वा किस्म (बंजड–2 एकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, बंजड–1 एकबा 0–05), खसरा नंबर 927 एकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–1 कुल किता 6 कुल एकबा 73 बीघा 12 बिस्वा में दूला पुत्र काना 1/10 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार था।

उक्त दूला पुत्र काना का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस क्रमशः 1– दाखा
देवी पत्नि दूला, 2– जमनादेवी, 3–सरजूदेवी, 4–लाली देवी, 5– मोहनी देवी,
6–मन्नाराम, 7–गणेश, 8– बेनाराम, 9–दानाराम, 10– जगदीश पिपलोदा है और
उपरोक्त समस्त खातों की आराजीयात जिसमें दूला पुत्र काना हिस्सेदार था। उसके
छोडे हुए हिस्से में उसके उपरोक्त 1 लगायत 10 जरिये विरासत के नामान्तरण सं.
1813 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार समान भाग के हकदार हुए, जिसमें दाखादेवी,
जमनादेवी, सरजूदेवी, लालीदेवी, मोहनीदेवी, ने खाता नम्बर 53 में अपना 1/20
हिस्सा, खाता नम्बर 74 में अपना 1/20 हिस्सा, खाता नम्बर 254 में अपना 1/40
हिस्सा, खाता नम्बर 256 में अपना 1/40 हिस्सा, खाता नम्बर 294 में अपना 1/20
हिस्सा, खाता नम्बर 316 में अपना 1/10 हिस्सा, खाता नम्बर 318 में अपना 1/40
हिस्सा, खाता नम्बर 319 में अपना 1/40 हिस्सा जरिये हक त्याग पत्र अपीलांट के
हक में और उनके नाम दूला पुत्र काना की विरासत का फोती नाम.सं. 1813 दिनांक
31.05.2019 को खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया उक्त दूला
पुत्र काना के वारिसों में दाखा देवी, जमनादेवी, सरजूदेवी, लाली देवी, मोहनी देवी ने
अपना सम्पूर्ण हिस्सा जो दूला पुत्र काना की विरासत से प्राप्त हुआ दिनांक 17.06.2019
को अपीलांट के हक में त्याग कर कब्जा संभला दिया।

उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 1865 दिनांक
01.07.2019 को भरकर गिरदावरी हल्का से दिनांक 05.07.2019 को मिलान कराकर
ग्राम पंचायत की मिटिंग में 24.07.2019 को पेश किया जो बिना किसी युक्तियुक्त

26/5/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

कारण के दिनांक 24.07.2019 को प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खारीज कर दिया गया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.08.2019 को पटवारी हल्का से जनाबंदी की नकल लेने गया तब उक्त नामान्तरण 24.07.2019 को खारीज होने की जानकारी हुई जिस पर उसी दिन नकल नामान्तरण सं. 1865 प्राप्त कर होने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील अपीलांट उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपील अपीलान्ट निम्न आधारों पर पेश है:–

उक्त आदेश योग्य ग्राम पंचायत विधि विरूद्व एंव बनावटी तथ्यों के प्रतिकुल होने से निरस्तनीय है। अपीलान्टस मृतक दूला के जायंदा पुत्र है और हक त्याग कर्तागण दाखा देवी मृतक दूला की पत्नि है एवं जमनादेवी, सरजूदेवी, लालीदेवी, मोहनी देवी मृतक दूला के जायंदा पुत्र है इस प्रकार दूला के वारिसों में उसकी पत्नि एवं 4 पुत्रियां 5 पुत्र कुल 10 सदस्य है जो दूला के छोडे हुये उपरोक्त समस्त खातों की आराजी में समान भाग के हकदार है, उक्त वारिसों में से दूला की पत्नि दाखा व पुत्रिया जमना देवी, सरजूदेवी, लालीदेवी, मोहनी देवी ने अपना सम्पूर्ण हक वैधानिक प्रकिया अनुसार अपीलांट के हक में 17.06.2019 को त्याग कर कब्जा सोप दिया इस प्रकार अपीलांट उक्त आठों खातों की आराजी में दूला के छोडे हुए हिस्से में समान भाग के हकदार हो गये व मौके पर काबिज है, हक त्याग के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 1865 सही भरा जिसे गिरदावर हल्का ने बाद जांच सही होना अंकन किया किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत जो अपीलांट से चुनावी व राजनैतिक रंजिश रखते है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 24.07.2019 को पंचायत के प्रस्ताव सं. 03 द्वारा खारिज कर दिया अतः उक्त नामान्तरण आदेश विधि विपरित होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजीयात अपीलान्टस की कब्जे शुदा हैं। जो दूला पुत्र काना के हिस्से की छोडी हुयी विरासत में प्राप्त शुदा है अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण तसदीक करने के पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का मौका नहीं दिया व समस्त तथ्यों की बिना किसी वैधानिक जांच के नामान्तरण सं. 1865 रेस्पो. सं. 1 ने खारिज कर दिया जो विधि विरूद्व होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण सुनवाई करने के पूर्व नामान्तरण सम्बन्धित नियमों की पालना नहीं की और सरसरी तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के हक त्याग के आधार पर भरा गया नामान्तरण विधि विरूद्व तरीके से खारीज कर दिया अतः नामान्तरण आदेश निरस्तनीय हैं। नामान्तरण विरासत से प्राप्त आराजी का जरिये पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया है जिस पर अपीलान्टस जो मृतक दूला पुत्र काना के जायंदा पुत्र है हक त्याग के आधार पर मौके पर काबिज हैं। हकों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और नहीं ऐसा कोई आदेश नामान्तरण की पुश्त पर अंकन है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण की वैधानिक जांच नही की। साथ ही ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरण की सुनवाई की सूचना नोटिस बोर्ड पर नही लगाई। ग्राम पंचायत सरपंच व अपीलांट के परिजनों के मध्य मुकदमे बाजी चल रही है जिसकी आपसी रंजिश की वजह से बिना किसी वैधानिक कारण के नामान्तरण खारिज किया गया है अतः आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। नामान्तरण दिनांक 24.07.2019 को अस्वीकार किया गया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.08.2019 को जब अपीलांटस हक त्याग के नामान्तरण संबंधि जानकारी करने गये तब हुयी इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं थी व दिनांक 23.08.2019 को जन्माष्टमी का एवं 24 व 25 को शनिवार व रविवार का अवकाश होने के कारण अदालत खुलने पर अपील पेश की गई जो जानकारी अन्दर मियाद है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन

20/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत ढाणी बोराज का आदेश नामान्तरण संख्या 1865 दिनांक 24.07.2019 निरस्त फरमाया जावें व हकत्याग पत्र अनुसार नामान्तरण अपीलांट के नाम तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को जरिए नोटिस सम्मन एवं पंजीकृत डाक से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा उपस्थित।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्टस मृतक दूला के जायंदा पुत्र है और हक त्याग कर्तीगण दाखा देवी मृतक दूला की पत्नि है एवं जमनादेवी, सरजूदेवी, लालीदेवी, मोहनी देवी मृतक दूला की जायंदा पुत्रियाँ है इस प्रकार दूला के वारिसों में उसकी पत्नि एवं 4 पुत्रियां 5 पुत्र कुल 10 सदस्य है जो दूला के छोडे हुये उपरोक्त समस्त खातों की आराजी में समान भाग के हकदार है, उक्त वारिसों में से दूला की पत्नि दाखा व पुत्रियाँ जमना देवी, सरजूदेवी, लालीदेवी, मोहनी देवी ने अपना सम्पूर्ण हक वैधानिक प्रकिया अनुसार अपीलांट के हक में 17.06.2019 को त्याग कर कब्जा सौंप दिया इस प्रकार अपीलांट उक्त आठों खातों की आराजी में दूला के छोडे हुए हिस्से में समान भाग के हकदार हो गये व मौके पर काबिज है। पंजीकृत हक त्याग दिनांक 17.06.2019 के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं. 1865 सही भरा जिसे गिरदावर हल्का ने बाद जांच सही होना अंकन किया किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत जो अपीलांट से चुनावी व राजनैतिक रंजिश रखते है बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दिनांक 24.07.2019 को पंचायत के प्रस्ताव सं. 03 द्वारा खारिज कर दिया अतः उक्त नामान्तरण आदेश विधि विपरित होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजीयात अपीलान्टस की कब्जे शुदा हैं। जो दूला पुत्र काना के हिस्से की छोडी हुयी विरासत में प्राप्त शुदा है अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण तसदीक करने के पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का मौका नहीं दिया व समस्त तथ्यों की बिना किसी वैधानिक जांच के नामान्तरण सं. 1865 रेस्पो. सं. 1 ने खारिज कर दिया जो विधि विरूद्व होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण सुनवाई करने के पूर्व नामान्तरण सम्बन्धित नियमों की पालना नहीं की और सरसरी तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के हक त्याग के आधार पर भरा गया नामान्तरण विधि विरूद्व तरीके से खारीज कर दिया अतः नामान्तरण आदेश निरस्तनीय हैं। कथित नामान्तरण विरासत से प्राप्त आराजी का जरिये हक त्याग पत्र के आधार पर प्राप्त शुदा आराजी का है जिस पर अपीलान्टस जो मृतक दूला पुत्र काना के जायंदा पुत्र है हक त्याग के आधार पर मोके पर काबिज हैं। हकों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और ऐसा कोई तथ्य नामान्तरण की पुश्त पर अंकित किया गया है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नामान्तरण की वैधानिक जांच नही की गयी, साथ की ग्राम पंचायत ने कथित नामान्तरण की कोई वैधानिक सुचना नोटिस बोर्ड पर नही लगाई ग्राम पंचायत सरपंच व अपीलांट के परिजनों के मध्य मुकदमे बाजी चल रही है जिसकी आपसी रंजिश की वजह से बिना किसी वैधानिक कारण के नामान्तरण खारिज किया गया है अतः आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। अपील अपीलान्ट के संबंध में निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत ढाणी बोराज का आदेश नामान्तरण संख्या 1865 दिनांक 24.07.2019 निरस्त फरमाया जावें व पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 17.06.2019 के अनुसार नामान्तरण अपीलांट के नाम तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के मुताबिक तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 01/07/2019 को नामान्तरण भरकर पेश किया जिसकी जांच तत्कालीन गिरदावर आसलपुर द्वारा की गयी तथा दिनांक 05.07.2019 को ग्राम ढाणी बोराज के नामान्तरण संख्या 1865 सही होना मानते हुए अपने हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत ढाणी बोराज की आम सभा में दिनांक 24.07.2019 को पेश किया गया। जिसे तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 17.06.2019 को दाखा देवी पत्नी दूला, जमना देवी, सरजू देवी, लाली देवी, मोहनी देवी पुत्रीयान् दूला द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के हक में पंजीकृत हक त्याग पत्र द्वारा दूला पुत्र काना की विरासत से प्राप्त हिस्से का त्याग कर दिया गया। उक्त हकत्याग पत्र के पंजीकृत होने से उसकी सत्यता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ढाणी बोराज द्वारा उक्त नामांतरण को अस्वीकार किया गया। जो कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत ढाणी बोराज द्वारा ग्राम ढाणी बोराज के निर्णीत नामान्तरण संख्या 1865 को जो अस्वीकार किया गया है जो कतई विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं होने से दिया गया निर्णय निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलांटस/प्रार्थीगण की स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोवनेर को आदेशित किया जाता है कि पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 17.06.2019 क्रमांक पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ संख्या 137 क्रम सं. 201903302102368 पर पंजीवद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1434 के पृष्ठ संख्या 155 से 168 पर चस्पा किया गया के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन किये जाने हेतु नामान्तरण दर्ज करें तथा नामान्तरण का नियमानुसार निस्तारण करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार जोवनेर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2023 कैम्प कोर्ट ढाणी बोराज में टंकित कराया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोवनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर